आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्यूक्ति
29.08.2018	श्री नरेश कुमार, पणन पदाधिकारी, हटिया क्षेत्र उपस्थित। श्रीमती शिवानी कोड़ा, प्रणाली विश्लेषक, एन0आई0सी0, अनुपस्थित। यह अपील वाद श्रीमती लालती देवी, राँची द्वारा लाया गया है। अपील स्वीकार का संज्ञान लेते हुए प्रतिवादी के रुप श्री नरेश कुमार, पणन पदाधिकारी, हटिया क्षेत्र, राँची को नोटिस निर्गत किया गया। निर्धारित तिथियों में उभय पक्ष उपस्थित होते रहे। अपीलकर्ता द्वारा लाभान्वितों की सूची समर्पित की है। अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया कि उक्त सूची में शामिल सूची लाभान्वित अत्यन्त गरीब और PH कार्ड के लिये योग्य है। **पणन पदाधिकारी द्वारा निम्न बिन्दु बताए गए :–** 1. ग्राउन्ड फ्लोर ब्लॉक G – 14 में कम्प्यूटर ऑपरेटर को DSO द्वारा निदेश दिया जाता है कि गरीब एवं निशक्त लोगों को निःशुल्क आवेदन स्वीकार किया जाय। 2. मैन पॉवर की कमी के कारण आवेदक का वेरीफिकेशन संभव नहीं हो पाता है। 3. 72,00/– से कम आय वाले का कार्ड बनाया जाता है। 4. वर्ष 2015 तक NGO द्वारा वेरीफिकेशन किया गया, किन्तु जब से ऑनलाइन आवेदन को रहा है, तब से यह कार्य बन्द है। 5. ऑनलाईन आवेदन के लिये आधार कार्ड, बैंक डिटेल एवं ओ0टी0पी0 के लिये मोबाइल नं0 आवश्यक होता है। 6. पणन पदाधिकारी अपने लॉग इन से संतुष्ट होकर DSO को रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद DSO लॉग इन कर कार्ड बनाने का निदेश देते हैं। 7. नेट की समस्या के कारण ई – पॉश मशीन में अँगूठा का मिलान नहीं हो पाता है। 8. ई – पॉश मशीन से संबंधित कार्यों का देखरेख एन0आई0सी0 की शिवानी कोड़ा एवं Vision Company द्वारा किया जाता है। 9. पणन पदाधिकारी 30 से 32 वार्ड के प्रभार में हैं। 10. वर्त्तमान में 6 से 10 वार्ड के प्रभार में हैं। 11. हटिया वार्ड 45 के अन्तर्गत आता है। 12. हटिया क्षेत्र के पणन पदाधिकारी श्री विद्यार्थी थे, जिनका वर्त्तमान में ट्रांसफर हो गया है। पदस्थापन की प्रक्रिया लंबित है। 13. 6 से 10 वार्ड बूटी मोड़ से कांटा टोली तक है। 14. वर्त्तमान में जनवितरण दुकानदार का कमीशन दर एक रु0 है। दुकानदारों द्वारा कमीशन बढ़ाने का मांग किया जा रहा है।	

	उभय पक्षों के दावों प्रतिदावों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग श्री नरेश कुमार, पणन पदाधिकारी, राँची को निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है :– 1. आवेदक धाना मिंज के आवेदन पर उनके परिवार का नाम जोड़ दिया गया है। 2. नाम जोड़ने एवं काटने से संबंधित पत्र विभाग से प्राप्त करें एवं इसकी एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध कराई जाय। 3. हिनू क्षेत्र में जो पणन पदाधिकारी प्रभार में हैं, उनको अपने कार्यों के अतिरिक्त खाद्य आयोग में नियुक्त किया जाय। 4. शिवानी कोड़ा को सुनवाई हेतु आज दिनांक 29.08.18 को बुलाया गया था, किन्तु वे नहीं आईं। भोजन का अधिकार सेक्शन 33 के अन्तर्गत क्यों नहीं उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाय एवं उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाय। 5. प्रज्ञा केन्द्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन से संबंधित पत्र आयोग को उपलब्ध कराई जाय। 6. राशन कार्ड से संबंधित सभी पत्र आयोग को उपलब्ध कराई जाय। 7. ऑनलाइन आवेदन के बाद किया प्रक्रिया है, इससे संबंधित पत्र आयोग को उपलब्ध कराई जाय। 8. प्रत्येक जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पास कितनी संख्या में कार्ड होना चाहिए, इससे संबंधित पत्र आयोग को उपलब्ध कराई जाय। उक्त सारे पत्रों को श्री नरेश कुमार, पणन पदाधिकारी, हटिया क्षेत्र, राँची अगली तिथि दिनांक – 07.09.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न को प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। 28.8.19 (डॉ० रंजना कुमारी) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। | (रामकरण रंजन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। | (सुधीर प्रसाद) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\आदेश.docx20

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	पुनश्च :- 29/8/18 को सुनवाई की ~~तिथि~~ रखी गई जिसमें M.O उपस्थित एवं शिवानी कोड़ा (WIC) को उपस्थित होने हेतु [illegible] पुनश्च :- सुनवाई हेतु दिनांक 7/9/18 को तिथि निर्धारित की गई है। जिसमें Marketing officer को संबंधित court order ले कर आना है। साथ ही शिवानी/WIC को बुलाया गया है। Raj 29/8/18	
7.9.18	M.O. उपस्थित / शिवानी [illegible] उपस्थित / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – 1) [illegible] 2) [illegible] 3) [illegible] [illegible] 4) mobile No [illegible] 5) [illegible] 6) [illegible] [illegible] [illegible]	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Aadhar Login / Password [illegible] [illegible] [illegible] ~~18~~ 24.9.18 को [illegible] [illegible] [illegible] M.O. [illegible] [illegible] M.O. को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 28.8.19	